

**न्यायालय राजस्व अपील याचिकाची, जोधपुर  
फील्डशील अधिकाारी श्री नरवदाल बारड,आर.ए.एस.**

2018RAAJu223RTA072 Dhalaram n ors Vs Baburam etc

(1) Appeal # 2018RAAJu.223RTA072

1. दलाराम पुत्र मीडाराम राडका
  2. सोलाराम पुत्र राणाराम राडका
  3. नमन पत्नी राणाराम राडका (फौद)
  4. दीपदेवी पत्नी काळाराम राडका
  5. धरराम पुत्र काळाराम राडका
  6. खियाराम पुत्र काळाराम राडका
  7. मीरराम पुत्र काळाराम राडका
  8. भवरराम पुत्र मीडाराम राडका
  9. पुस्वाराम पुत्र राणाराम राडका
  10. मालाराम पुत्र मीडाराम राडका
  11. फुसीदेवी पत्नी मीडाराम राडका
  12. वृंदिदेवी पत्नी बायडराम राडका
- दिवारशीवण बाभ राभपुयल आदियल  
दहशील दिवरी, जिलल जोधपुर



**श**

**ली**

**व**

1. बाबूराम पुत्र मीरराम राडका  
दिवारशी बाभ राभपुयल आदियल,  
दहशील दिवरी जिलल जोधपुर
2. राजस्थान सरकार  
दहशील दिवरी, जिलल जोधपुर

----- र्कत.

----- अपीलारुस

अपील अन्तलाल एलय 223 राजस्थान कास्थलकारी  
अदिलियल, 1955 दिवखु लिलय एव डिकी  
सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकाारी  
आदियल दिवरीक 20 दिवखर 2016 राजस्व वाद  
संख्या 29/2015 बाबूराम वलल भवरराम आदि

----- 0  
22/11  
राजस्थान सरकार  
जोधपुर

(2) Appeal # 2018RAAJu.223RTA073

1. दलाराम पुत्र मीडाराम राईका
2. सोनाराम पुत्र सोनाराम राईका
3. नमनल पत्नी सोनाराम राईका (फौज)
4. टीपूदेवी पत्नी कार्गाराम राईका
5. धरराम पुत्र कार्गाराम राईका
6. शिवायाराम पुत्र कार्गाराम राईका
7. मीडाराम पुत्र कार्गाराम राईका
8. शंकराराम पुत्र मीडाराम राईका
9. पुंखाराम पुत्र सोनाराम राईका
10. भागाराम पुत्र मीडाराम राईका
11. कुशीदेवी पत्नी मीडाराम राईका
12. वृंक्षिदेवी पत्नी बापडाराम राईका

जिवासीवण आम रामपुरा आठियाल  
तहसील तिवरी, जिला जोधपुर



ब

ली

श

1. बाबूराम पुत्र धनाराम राईका

जिवासी आम रामपुरा आठियाल,

तहसील तिवरी जिला जोधपुर

2. राजस्थान सरकार

जोसे तहसीलदार तिवरी, जिला जोधपुर

-----  
अपीलकर्ता

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान कास्टिकरी  
अधिवेशन, 1955 विस्डू जियुय एवं फाडेल  
डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकायी  
आठियाल तिवरीक 11 फरवरी 2017 राजस्व बाह  
संख्या 29/2015 बाबूराम बलाम शंकराराम आठि

-----  
0

22/11  
-----  
राजस्थान सरकार  
जोधपुर

-----  
अपीलकर्ता

-----  
रुपय.

राजस्थान न्यायालय  
जयपुर  
2019

का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीवश संख्या 6 से 13 का 1/2 हिस्सा जमावादी  
से 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी-रेफ. के हिस्से में, प्रतिवादी संख्या 5  
अर्थात् वादी का 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि इस खसरे के कुल रकबे  
बिस्वा में वादी व प्रतिवादी संख्या एक से 4 का सम्मिलित 1/3 हिस्सा  
तिवरी के संवध में पेश किया और खसरा संख्या 506 रकबा 46 बीघा 13  
खसरा संख्या 535 रकबा 33 बीघा 06 बिस्वा वाके मौजा रामनगर तहसील  
धारा 53 के तहत आरिजी खसरा संख्या 506 रकबा 46 बीघा 13 बिस्वा एवं  
समाक्ष वादी-रेफ. बाबुलाल व रामस्थाल काश्तकारी अधिलियम, 1955 की  
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिलियम न्यायालय के  
वादी।



सुनवाई एवं अदालत हलका का आदेश सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की  
क्षमा किसे जाले का निवेदन किया। उक्त प्रार्थनापत्रों बाबत जबाब,  
प्रार्थनापत्र मध्य पेश कर पेश कर अपील परतुत करने में हुए विवेक को  
साथ भारतीय समाज सीमा अधिलियम की धारा 5 के तहत एक-एक  
हलका के समाक्ष दिनांक 29 जून 2018 को पेश की है। प्रत्येक अपील के  
अपील संख्या 2018RAA, Ju.223RTA072 एवं 2018RAA, Ju.223RTA073 अदालत  
निर्णय एवं फाइनल डिफि दिनांक 11 फरवरी 2017 के सिखलाफ कमाश:  
भदरा में पारित निर्णय एवं प्रार्थनापत्र डिफि दिनांक 20 सितम्बर 2016 तथा  
अधिकारी, अधिसूचा द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2015 बाबुलाल बलाम  
दोनों अपीलें अपीलानुदेश ले विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड  
राजस्थाल काश्तकारी अधिलियम, 1955 की धारा 223 के तहत से  
दिनांक : 23 अप्रैल, 2019

### निर्णय

श्री दंडाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता  
श्री सुरेश परियार, अधिवक्ता, रेफ. संख्या एक एवं श्री विवेक परियार  
श्री रमेश देवारी, अधिवक्ता अपीलानुदेश एवं श्री राजेश मणि

उत्तर न्यायाधीश  
22/11

विद्युतों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी-पक्ष की ओर से इस प्रकार अधिवक्ता अधीनस्थों ने मामले के तथ्यों एवं अधीन-मीमांसे में विलंब उभारपक्ष के विरुद्ध अधिवक्ताओं की वृत्ति नहीं रही। विरुद्ध 2018RAAJu.223RTA073 परवृत्त की गयी है।

2017 गरी की, जिसके द्वारा अदालत द्वारा के समक्ष अधीन संख्या पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं फाइनल डिक्लीरेशन 11 फरवरी लोक-अदालत की भावना से प्रतिरक्षित स्वीकार किया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय परवृत्त से विभाजन परवृत्त प्राप्त हो जाने पर परवृत्त द्वारा अधीन संख्या 2018RAAJu.223RTA072 पक्ष की गयी। प्राथमिक डिक्लीरेशन अधीनस्थों की गरी की गयी, जिसके विरुद्ध अधीनस्थों की ओर से करवादी आदेश की गयी, और दिनांक 20 सितंबर 2016 को मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25 मई 2015 को संस्थित किया जाकर वादकर उभार और अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया, जो अपने हिस्से एवं कब्जे की शर्तों तक आवाजान का रस्ता बदलने से अपने हिस्से अज्ञान कब्जे की शर्तों पर वाददे करके से वादी-रूपी की शर्तों आना जाहिर की। प्रतिवादी-अधीनस्थ संख्या एक से चार द्वारा संयुक्त करवाते हैं और वादी के हिस्से में कुल 13 बीघा 06 बिरवा पर वादी एवं प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से और सहजित अज्ञान खाल संख्या तथा 55 व पुराना 43 से साबित होना एकट किया। शौक 6 से 12 तक के हिस्से में 1/2 हिस्सा जमावदी संवत् 2070 से 2073 के में तथा प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से में 6/11 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या हिस्से का 1/2 गानि इस खसरे में 5 बीघा 11 बिरवा शर्तों वादी के हिस्से वादी व प्रतिवादी संख्या एक से चार का 1/3 हिस्सा अर्थात् वादी का 1/3 बरवा, और इसी प्रकार खसरा संख्या 535 रकबा 33 बीघा 6 बिरवा में संवत् 2070 से 2073 खाल संख्या तथा 21 व पुराना 15 से एकट होना



2018AAJ223RTA072  
Dharam n ors Vs Baburam etc

23/2/2018

मदका श्रीमती जमना के विधिक उत्तराधिकारियों को बतौर कायमकर्ताकामान  
 मार परतुव आलोच्य अपील में स्वयं प्रतिवादी-अपीलाएत पक्ष की ओर से  
 बावद अपील स्तर पर अधिवक्ता-अपीलाएत द्वारा आक्षेप किया गया है,  
 अधिवक्ता पर नियंत्रित विना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जाने  
 द्वारा प्रतिवादिनी श्रीमती जमना के विधिक उत्तराधिकारियों को विधिवत  
 समाक्ष वाद की कार्यवाही के दौरान ही जाने और अधिवक्ता न्यायालय  
 प्रतिवादी-अपीलाएत श्रीमती जमना का देहान्त अधिवक्ता न्यायालय के  
 जबाब-दावा और साक्ष्य-संग्रह का अवसर का उपयोक्त नहीं कर पाए।  
 वाद में प्राथमिक डिफेंडेंटों को जमाने के पूर्व अपना पक्ष परतुव करने,  
 अपीलाएतस अधिवक्ता न्यायालय के समाक्ष उपस्थित नहीं हुए और मूल  
 कि अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिफेंडेंटों पारित नियंत्रित करने के समय  
 अधिवक्ता न्यायालय की प्रभाव की अवगोचन से एकट होना है  
 अवगोचन किया गया।



वास्तविकतापूर्वक मजल किया गया एवं उपलब्ध अधिवक्ता का आधापान  
 उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की उपरोक्त बहस पर  
 अग्रुप न्यायाधीन निर्णय पारित नियंत्रित करने का निवेदन किया।  
 विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के  
 नियंत्रित करने का अग्रुप किया।

वाहिये। अतः श्री विद्वान अधिवक्ता से. ने आलोच्य दोनों अपीलें खारिज  
 गया, अतः अब अपीलाएतस को उससे मुकरने की अनुमति नहीं दी जानी  
 उसे उभय पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया  
 के अग्रुप में अधिवक्ता न्यायालय में जो विभाजन परतुव प्राप्त हुआ,  
 तहत दावा पक्ष नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्राथमिक डिफेंडेंट  
 है, ऐसी स्थिति में राजस्थान कायमकारी अधिवक्ता, 1955 की धारा 88 के  
 जमाने की दृष्टि अग्रुप बतौरा नियंत्रित करने वाले बावद प्राधान की गयी



23/11/17  
11/11/17

कर तदनुसार फाइल डिकी जारी की जावे।  
और प्राप्त विभाजन परतदा पर उभय पक्षकारान की सुनवाई  
उपस्थिति में विभाजन परतदा तैयार करवा कर तलब किये जावे  
देकर संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उभय पक्षकारान की  
पालना सुनिश्चित करवे हुए उभय पक्षकारान को पूर्व सुनना  
4. रावस्थान कारतकारी (विद्यम) 1955 के नियम 18 से 21 की  
जावे।

3. उभय पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष परतदा करने और  
(आवश्यक हो तो तलकियात कायम कर) सभी पक्षकारान को  
साक्ष्य-सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर  
विशिसमत विवेचन एवं विवेचन करते हुए खातेदारी हिस्सों की  
बाणुण बाबत निर्णय एवं तदनुसार प्राथमिक डिकी जारी की  
किया जावे।

2. अन्य कोई प्राथमिक, यदि लिखत हो तो, उलका निरतारण  
1. सर्वप्रथम मादक पक्षकारान के कायमभूकामान को रिकार्ड पर  
लेने की कायदाही की जावे

है कि नियमानुसार --

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर इन दोनों अपीलों  
को परतदा करने में हुए विवेचन को न्यायहित में क्षमा करते हुए अपील  
भियादशुमार की जाती है और गुणावर्णन पर दोनों अपीलें आंशिक तौर पर  
स्वीकार की जाकर अपीलार्थीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 20  
सितम्बर 2016 तथा निर्णय एवं फाइल डिकी दिनांक 11 फरवरी 2017  
अपारत किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाउड किया जाता  
18 से 21 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित नही की गयी है।

किया गया। जाहिर है कि रावस्थान कारतकारी (विद्यम), 1955 के नियम



पक्षकारान अलीनस्य न्यायालय के समक्ष इस संबंध में अविना  
कार्यवाही हेतु दिनांक 13 नवम्बर 2019 को उपस्थित रहे। निराय  
की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में रखी जावे  
निराय खुले न्यायालय में सुनाया गया।  
22/11/19

(नरनादन बारड) राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

